

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार जोसत जाक
खडिया पिता - बहिरा खडिया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख
 में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के द्वारा
 द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम नकरी कच्छा खता 3.25
खता - 117 वर्ष लिखित बयान दिया है। का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई
 के दौरान रसूद है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त रसूद नहीं प्रस्तुत नहीं
है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त
 है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में
 उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार सर्वे नहीं
 है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया
 है कि विषयगत भूमि ग्राम नकरी कच्छा खता नं0 खता नं0 प्लॉट नं0
सर्वे खतियान में किस्म जोसत जाक दर्ज है जो
 सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0
 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है
 नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त
 तथ्यों से स्पष्ट है कि जोसत जाक खडिया पिता बहिरा खडिया
ग्राम - नकरी कच्छा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान
 पड़ता है :-

| मौजा | थाना संख्या | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकबा |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>नकरी कच्छा</u> | 66 | 117 | $\frac{1527}{2456}$ | 3.25 <u>र०</u> |

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं
 भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त
 जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
 अंचल अधिकारी,
 बोलबा

अंचल अधिकारी,
 बोलबा